मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 2, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

1. अध्यक्षीय घोषणा

पाले एवं ठण्ड से फसलों की हानि संबंधी विषय पर नियम 139 के अधीन चर्चा कराने विषयक

प्रदेश में पाले से हुई फसलों की हानि सम्बन्धी श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य के प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 835) पर चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि ओले एवं पाले के विषय की गंभीरता को देखकर, माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष महोदय से चर्चा करके इस पर नियम 139 की चर्चा कराने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य को आश्वस्त किया गया कि जैसे ही बजट प्रस्तुत हो जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी और उसमें उनको भी पूरा समय दिया जाएगा, अत: यह प्रार्थना है कि हमें अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा उक्त प्रश्न पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर, सदन में तत्काल चर्चा कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की गई। प्रश्नकाल की शेष कार्यवाही अत्यधिक व्यवधान से बाधित होने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई, 11.01 बजे कार्यवाही स्थगित होकर 11.34 बजे पुन: समवेत हुई।)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 8 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 50 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने उज्जैन के शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट न लिखे जाने,
(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने खाचरौद जिले की कृषि मंडी में किसानों को बेची गई मटर का दाम न मिलने,
(3) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने मण्डला जिले के बिछिया में विद्युतीकरण कार्य अधूरा रहने,
(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के दबोह स्थित करघन तालाब पर अतिक्रमण किये जाने,
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया,सदस्य ने मन्दसौर जिले में उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश का कार्यालय खोले जाने,
(6) श्री जुगुल किशोर, सदस्य ने सतना जिले के कोठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण न होने,
(7) श्री हेमराजकल्पोनी, सदस्य ने भोपाल के वार्ड क्रमांक 38 के आवासों में कम दबाव से पानी दिये जाने तथा
(8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले की जामिनी नदी के फिल्टर प्लांट का पानी कृषि कार्य हेतु लिये जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्य मंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2011-12 पटल पर रखी।

5. ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल नगर निगम द्वारा अवैध रूप से स्थापित मोबाईल टॉवर्स को हटाने की कार्रवाई न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने मण्डला जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत कांसखेड़ा-बटवार मार्ग का निर्माण न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(2) श्री संजय पाठक (जिला-कटनी)
(3) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)

7. तकनीकी शिक्षा मंत्री का प्रश्न के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने दिनांक 18 मार्च, 2011 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 4985) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2013 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

9. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (क्रमशः)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 18 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर, दिनांक 20 फरवरी, 2013 को हुई चर्चा के क्रम में श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया। तत्पश्चात्, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी चर्चा में भाग लिया गया :-

(13) श्री केदारनाथ शुक्ल
(14) श्री रामलखन सिंह
(15) श्री जेवियर मेड़ा
(16) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

(अपराह्न 1.09 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

(17) डॉ. गोविन्द सिंह
(18) श्री पारस सकलेचा
(19) श्री राजेन्द्र वर्मा
(20) श्री आरिफ अकील
(21) श्री बाबूलाल वर्मा
(22) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(23) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(24) श्री नारायण प्रजापति
(25) श्री देवेन्द्र वर्मा
(26) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन अस्वीकृत हुए।
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 3, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 21 फरवरी, 2013